भारत सरकार

संसदीय कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 5273

दिनांक 02.04.2025 को उत्तर के लिए

युवा संसद

5273.डॉ. थोल तिरूमावलवनः

श्री जसवंतसिंह सुमनभाई भाभोरः

श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटीलः

श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाहः

श्री छत्रपाल सिंह गंगवारः

श्री आलोक शर्माः

क्या **संसदीय कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार संपूर्ण देश में विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों के साथ समन्वय करके नियमित रूप से युवा संसद का आयोजन करती है और यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान आयोजित युवा संसद प्रतियोगिता सहित तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) महाराष्ट्र और सांगली के विशेष संदर्भ में टियर-2 और टियर-3 शहरों और कस्बों से युवा संसद कार्यक्रमों के लिए पंजीकृत विद्यालयों की संख्या कितनी है;

(ग) सरकार द्वारा विद्यालय स्तर पर युवा संसद को बढ़ावा देने और इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान युवा संसद के लिए राज्यवार कितनी निधि आवंटित की गई है और व्यय की गई है; और

(घ) क्या सरकार का राष्ट्रीय युवा संसद (एनवाईपी) और इंटर्नशिप के अलावा विधायी प्रक्रियाओं और संसदीय मामलों में युवाओं की सहभागिता को प्रोत्साहित करने का भी विचार है?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) से (ग) हां, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय संबंधित हितधारक संगठनों के समन्वय से पूरे देश में विद्यालयों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में निम्नलिखित युवा संसद प्रतियोगिताओं का आयोजन करता है:

(i) शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के शिक्षा विभाग के तहत विद्यालयों के लिए युवा संसद प्रतियोगिता;

(ii) केन्द्रीय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता;

(iii) जवाहर नवोदय विद्यालयों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता; और

(iv) विश्वविद्यालयों/कॉलेजों के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता।

पिछले तीन वर्षों में ऐसी 7 युवा संसद प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं।

प्रतिभागी शैक्षणिक संस्थानों को उनके हितधारक संगठनों द्वारा उनके संगठनात्मक ढांचे के अनुसार नामित किया जाता है, न कि राज्य-वार/शहर-वार/कस्बा-वार।

उपरोक्त के अलावा, संसदीय कार्य मंत्रालय युवा संसद प्रतियोगिताओं के आयोजन हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को, उनसे दावा प्राप्त होने के अधीन रहते हुए, मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है।

मंत्रालय ने युवा संसद कार्यक्रम के दायरे का देश के अभी तक अछूते वर्गों और स्थानों तक विस्तार करने के लिए राष्ट्रीय युवा संसद प्रतियोगिता योजना (एनवाईपीएस) के एक वेब-पोर्टल का भी शुभारंभ किया है। वेब पोर्टल के माध्यम से मंत्रालय के युवा संसद कार्यक्रम में देश के सभी नागरिक भाग ले सकते हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, विद्यालय स्तर पर युवा संसद से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों पर कुल ₹49,34,599/- खर्च किए गए हैं। इस राशि में से, मध्य प्रदेश, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश को अपने-अपने राज्य में युवा संसद आयोजित करने के लिए क्रमशः ₹8,78,319/-, ₹2,99,769/- और ₹2,00,000/- की वित्तीय सहायता प्रदान की गई। मंत्रालय में युवा संसद के लिए राज्य-वार निधियों का कोई समर्पित आबंटन नहीं है।

(घ) मंत्रालय में ऐसी कोई योजना विचाराधीन नहीं है।

*****